UPRB010007112014

न्यायालय प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6045

सत्र परीक्षण संख्या–13/2014

रजिस्ट्रेशन नं०–300013/2014

1– उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोगी

बनाम

1– राम सुमेर उर्फ गोलीदीन पुत्र महादेव लोध निवासी ग्राम हसनगंज थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

---------अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–1617/2013

धारा –302 भारतीय दण्ड संहिता

थाना–ऊँचाहार, जिला–रायबरेली।

निर्णय

अभियुक्त **राम सुमेर उर्फ गोली दीन** पुत्र महादेव लोध के विरुद्ध पुलिस थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1617/2013, धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए, विचारण किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "मैं राजमोहन यादव पुत्र रामदास ग्राम पुरे कोन्हू म० तेरूवा थाना डलमऊ जिला रायबरेली का रहने वाला हूं मेरे पिता रामदास उपरोक्त रेलवे ऊंचाहार में कार्यरत रह चुके हैं तथा पिछली जनवरी 2013 को रिटायर हो चुके हैं। तैनाती के दौरान ही श्रीमती लीलावती पत्नी राम सुमेर उर्फ गोलीदीन पुत्र महादेव लोध नि० हसनगंज थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली से अवैध संबंध हो गए आज दिनांक 12.12.13 को मेरे पिता रामदास ऊंचाहार आने को कहकर घर से निकले थे तथा वह ऊंचाहार से श्रीमती लीलावती के घर ग्रा० हसनगंज पहुंचे गए। तैनाती के दौरान मेरे पिताजी ने श्रीमती लीलावती वह उनके घर वालों की काफी आर्थिक मदद किया करते थे। परंतु पिछले कुछ दिनों से राम सुमेर को मेरा पिता का उनके घर हसनगंज आना अच्छा नहीं लगता था आज जब मेरे पिता श्रीमती लीलावती से मिले तभी उनका पति राम सुमेर वहां आ गया और फावड़े से मारकर मेरे

पिता जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी की हत्या कर दी थी श्रीमती लीलावती ने बचाने का प्रयास किया तथा चिल्लायी तब पास–पड़ोस के लोग दौड़े परंतु वह फावड़ा लेकर भाग गया। मुझे फोन से घटना की जानकारी दी गयी। घटना समय लगभग एक 10 बजे रात की है। तब मैं अपने भाई व गांव वालों के साथ आपके पास सूचना को आया हूं। "

वादी मुकदमा श्री राज मोहन यादव पुत्र रामदास, निवासी पूरे कोन्हू म० तेरूवा, थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली के प्रार्थनापत्र पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–12.12.13 को थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली में अभियुक्त राम सुमेर उर्फ गोलीदीन पुत्र महादेव लोध निवासी ग्राम हसनगंज, थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली के विरूद्ध अंकित किया गया। मुकदमा कायमी का इन्द्राज को जी०डी० में किया गया। सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचना की गयी। दौरान विवेचना गवाहान के बयान अंकित किये गये। घटनास्थल का नक्शानजरी तैयार किया गया तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त राम सुमेर के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता प्रेषित किया गया, न्यायालय द्वारा आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया।

अभियुक्त राम सुमेर के विरूद्ध धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप दिनांक 05.06.2014 को विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, उसने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा न्यायालय द्वारा परीक्षण किये जाने की माँग किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्षी के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः–

क्रम सं०	**अभियोजन साक्षियों के नाम**	**पी०डब्लू०**
1.	राज मोहन	पी०डब्लू०–1
2.	जागेलाल	पी०डब्लू०–2
3.	डा० महबूब अख्तर	पी०डब्लू०–3
4.	उ० नि० राम सुमेर कटियार	पी०डब्लू०–4
5.	परशुराम त्रिपाठी	पी० डब्लू०–5

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं०	अभिलेखों का विवरण	प्रदर्श	पी०डब्लू०/डी०डब्लू जिसने साबित किया है।	साबित करने का दिनांक
1.	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1	15.10.2014
2.	शव विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–3	30.11.2021
3.	पंचायतनामा	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–4	06.12.2024
4.	चिट्ठी	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–4	06.12.2024
5.	फोटोनाश	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–4	06.12.2024
6.	पुलिस फार्म संख्या 13	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–4	06.12.2024
7.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–5	02.12.2025
8.	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–5	02.12.2025
9.	फर्द लेने कब्जा एक डिब्बा मिट्टी सादी व खून आलूदा	प्रदर्श क–9	पी०डब्लू०–5	02.12.2025
10.	फर्द आला कत्ल	प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–5	02.12.2025
11.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–5	02.12.2025
12.	नक्शानजरी बरामदगी आला कत्ल फावड़ा	प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–5	02.12.2025
13.	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–13	पी०डब्लू०–5	02.12.2025
14.	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–14	पी०डब्लू०–5	02.12.2025

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है–

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–1 राजमोहन** द्वारा अपने शपथ पूर्वक मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, "मेरे पिता की हत्या दिनांक 12.12.2013 को हुयी थी। मेरे पिता जी रेलवे में ऊँचाहार में गैंगमैन के पद पर कार्यरत थे। मेरे पिता जी ऊँचाहार में रहते थे, फिर कहा कि घर से डयूटी करते थे। मेरे पिता जी जनवरी 2013 में रिटायर हुए थे। मेरे पिता घटना वाले दिन में 12 बजे घर से तेल पेराने कहकर सायकिल से निकले थे, वहाँ से मुराई बाग बैंक से साढ़े तीन बजे से निकलकर ऊँचाहार राम सुमेर के यहाँ गये थे। राम सुमेर हसनगंज में रहते हैं। हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर गवाह ने कहा कि वही रामसुमेर है। मेरे पिता जी वहाँ से घर वापस नहीं लौटे। हमको फोन से सूचना किसी ने दिया कि तुम्हारे पिता जी का मर्डर हो गया है। यह सूचना रात 10 बजे मिली थी, तब हम उस सूचना पर करीब आठ लोग हसनगंज गये, वहाँ देखा कि राम सुमेर के आंगन में छप्पर के नीचे मेरे पिता जी मरे पड़े थे। गर्दन कटी थी, सर पर चोटें थी। गर्दन के बगल में तीन वार थे, फिर हम लोग थाने गये। थाने के बाहर जो मेरे साथ जागेलाल मौजूद थे, उनसे तहरीर लिखवाकर पढ़कर उस पर हस्ताक्षर किये थे। उसी पर मेरी रिपोर्ट दर्ज हुयी थी। पत्रावली में शामिल तहरीर दिखाई थी जिस पर बने

हस्ताक्षर की शिनाख्त किया है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरे पिता ने रामसुमेर को पचास हजार रूपया उधार दिये थे। घर बनवाने के लिए। मेरे पिता वही पैसा मांगने गये थे। रामसुमेर के यहाँ मेरे पिता जी गये आते जाते थे। न्यायालय में शामिल फोटो साक्षी को दिखायी गयी तो उसने कहा कि मेरे पिता की फोटो है। मेरे पिता की लाश का पंचनामा हुआ था। पंचनामा पर मेरे भी हस्ताक्षर है। "

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–2 जागेलाल** द्वारा अपने शपथ पूर्वक मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, " मृतक रामदास मेरे चचेरे भाई थे जो कि रेलवे ऊँचाहार में काम करते थे। मृतक रामदास के तीन पुत्र है, जिनके नाम क्रमशः राजमोहन, लालबहादुर व शिवबहादुर है तथा उनकी दो बहनें हैं, जिनके नाम मुझे याद नहीं है। मेरे चचेरे भाई रामदास मृतक जनवरी 2013 में रिटायर हो गये थे। घटना आज से करीब आठ वर्ष पूर्व की है। मेरे भतीजे राजमोहन मेरे घर आकर बताया था कि, मेरे पिता जी की किसी ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है। हत्या का शक मुझे राम सुमेर उर्फ गोलीदीन पर है। तब मैं राज मोहन के साथ थाना ऊँचाहार आया था और अपने भतीजे राज मोहन के कहने पर जैसा उसने बताया था, वैसा ही मैंने लिख करके और राज मोहन के हस्ताक्षर कराकर थाने पर दिया था। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, जिसे मैंने लिखकर थाने पर दिया था। उसकी लाल वृत्त में डाला गया है। तहरीर देने के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अगले दिन दरोगा जी परशुराम त्रिपाठी ने हमें राज मोहन, शिवबहादुर, राम सुमेर, शेर बहादुर को घटना स्थल पर बुलाया था व मृतक के शव के पास से खून आलूद मिट्टी व सादी मिट्टी अलग–अलग डिब्बों में लेकर नमूना मोहर तैयार किया था तथा मौके पर फर्द लिखकर हम सभी गवाहों के हस्ताक्षर कराये थे जो का०सं० 11 क/1 के रूप में पत्रावली में शामिल है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे लाल वृत्त में घेरा गया है। उसके उपरान्त दरोगा जी ने हम लोगों के बयान अंकित किये थे। दिनांक 18.12.2013 को दरोगा पी०आर० त्रिपाठी पुनः मौके पर आये थे और राम सुमेर की बहन पार्वती के प्लाट पर लेकर गये थे, जहाँ अभियुक्त राम सुमेर ने आगे जाकर झाडियों से एक फावड़ा, जिसके बेंत व फलक में खून लगा हुआ था, सूख गया था, बरामद किया था, जिसकी लम्बाई करीब 05 बालिश व फलक की लम्बाई करीब 12 अंगुल थी, जिसे मौके पर ही पुलिस द्वारा सफेद कपडे में रखकर सील मोहर किया गया था। फावडे की बेंत में गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये थे। फर्द पर हम गवाहान व मौके पर आये पुलिसकर्मियों ने भी दस्तखत बनाये थे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या बरामदगी फावड़ा शामिल मिसिल है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसको लालवृत्त में घेरा गया है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। "

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–3 डा० महबूब अख्तर** द्वारा अपने शपथ पूर्वक मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, " दिनांक 13.12.2013 को मेरी ड्यूटी

पोस्टमार्टम हाउस में थी। उस दिन मृतक का नाम रामपाल यादव पुत्र स्व० रामचरन यादव, पता ग्राम पूरे कोहली पोस्ट टेकवा, थाना डलमऊ जिला रायबरेली का शरीर कां० दिनेश कुमार द्विवेदी थाना ऊँचाहार से लेकर आये थे। शव का विच्छेदन प्रारम्भ करने का समय सायं 3.30 मिनट पर मेरे द्वारा शुरू किया गया। शव की शारीरिक बनावट व अच्छी कद काठी का था। मृतक ने पूर्णतः स्वेटर, बिनयाइन, जूते, धोती, गले में सफेद धागा जो भी कपड़े खून से सने थे, जिसे साथ आये कां० को दे दिया गया। शव विच्छेदन के समय मृतक की आंखे आधी खुली थी व मुंह बंद था और चेहरे में खून के थक्के जमे थे। अकड़न शरीर में दोंनो ऊपरी व निचले अंगों में थी।

बाह्य चोटों के निशान-1- दांयी तरफ सर में LW Size 2.5 cm.X2cmX05cm आईब्रो के ऊपर।

2- इनसाइड Wound सर के सामने वाले हिस्से में Size 3cm X2cm, जो मांसपेशियों तक गहरा था।

3- दांयी आंख के LW Size1cmX1cm Skin Deep त्वचा तक गहरा था।

4- इनसाइड Wound गर्दन के सामने के हिस्से में Size 13.5cmX1cmX5.5cm ठुड्डी के ठीक नीचे बांयी angel of mendwil से दांयी angel of mendwill तक। margin नियमित थे। जख्म के नीचे की मांसपेशियां, खाने की नली एवं श्वास की नली कटी हुई थी। सास में बांयी तरफ की कैरीटीप आर्ट्री कटी हुई थी।

5- सर के LW पीछे के हिस्से में Size 12X3X हड्डी तक गहरा मार्जिन अनियमित एवं जख्म की हड्डी के नीचे फ्रेक्चर था।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय 1 दिन के भीतर का था। मृतक की मृत्यु का कारण Due to shock and haemmorage, जो भी चोटों के कारण हुआ था। पत्रावली में शमिल शव विच्छेदन सं. 916/2013 का.सं. 10ख/1 के रूप में पत्रावली में शामिल है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि व तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।"

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०-4 उ०नि० राम सुमेर कटियार** द्वारा अपने शपथ पूर्वक मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, "दिनांक 13.12.2013 को मैं ऊँचाहार में एस. आई. के पद पर तैनात था। इसी दिन वादी मुकदमा राज मोहन यादव पुत्र राम दास निवासी पूरे कोन्हू मजरे टेकुआ थाना डलमऊ रायबरेली की सूचना पर मु.अप.सं. 1617/13 अं०धारा 302 भा०दं०सं० रपट सं० 48 समय 23.30 बजे पर मैं एस०आई० घटनास्थल पर गया था। मेरे द्वारा मृतक रामदास यादव पुत्र स्व० राम चरन निवासी पूरे कोन्हू मजरे टेकरवा थाना डलमऊ रायबरेली के शव का पंचायतनामा बाद नियुक्त पंचांन नियमानुसार

मृतक के शव का मुआयना होने के पश्चात राय पंचान अंकित की गयी थी तथा अपनी राय भी पंचायतनामा पर अंकित की गयी थी। पंचायतनामा पर पंचान के हस्ताक्षर कराये गये थे। मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए मृतक के शव को सील सर्व मोहर कर पी०एम० के लिए भेजा गया था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल का०सं० 9 क पंचायतनामा को देखकर उसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध का०सं० 9 क/5 चिट्ठी सं०, का०सं० 9 क/6, फोटोनाश का०सं० 9 क/7, पुलिस फार्म सं० 13 को देखकर उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6 डाला गया। निरीक्षक ने मेरा बयान लिया।"

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–5 परशुराम त्रिपाठी** द्वारा अपने शपथ पूर्वक मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, "दिनांक 12.12.2013 को मैं थानाध्यक्ष ऊँचाहार के पद पर तैनात था। इसी दिन वादी मुकदमा राज मोहन की तहरीर पर मु०अप०सं० 1617/2013 अं०धारा 302 भा०दं० सं० बनाम राम सुमेर उर्फ गोलीदीन पुत्र महादेव लोध पुत्र हरिमोहन थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझ थाना प्रभारी द्वारा ग्रहण की गयी। उक्त सूचना पर बहवाले रपट सं० 48 समय 23.30 बजे मय हमराहीगण मय घटनास्थल पर पहुँचा था, जहाँ मेरे निर्देश पर उप निरीक्षक राम सुमेर कटियार से बाद नियुक्त पंचांग, पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पादित की गयी थी। मैंने पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर व अन्य प्रपत्र पर हस्ताक्षर बनाये थे। विवेचना के क्रम में नकल तहरीर, नकल चिक, नकल रपट बयान लेखक एफ.आई.आर., बयान गवाहान पंचायतनामा, निरीक्षण घटनास्थल, बयान श्रीमती लीला देवी, बयान समयी साक्षी राम खेलावन पुत्र दशरथ लाल दिनांक 13.12.2013 को अंकित किये गये थे। मेरे द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल खून आलूद व सादी मिट्टी लेकर उसे सील सर्व मोहर कर नक्शानजरी घटनास्थल मौके पर तैयार की गयी। साक्षी ने पत्रावली में शामिल नक्शा नजरी का०सं० 5 क/2 को देखकर अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया जिसपर प्रदर्श क–7, डाला गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 13.12.2013 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त राम सुमेर उर्फ गोलीदीन लोध के मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी किन्तु दस्तयाब नहीं हुआ दिनांक 18.12.2013 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त राम सुमेर उर्फ गोलीदीन को हजरत तिथि से समय 7 AM बजे गिरफ्तार कर उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को दिया। गिरफ्तारी मेमों मौके पर तैयार किया व हमराहीगण व अभियुक्त के हस्ताक्षर गिरफ्तारी मेमो पर कराये। साक्षी ने पत्रावली में शामिल का०सं० 12 क गिरफ्तारी मेमो को देखकर उसमें अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श–क–8 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 11क/1 फर्द लेने कब्जा एक डिब्बा मिट्टी सादी व डिब्बा मिट्टी खूनालूद घटनास्थल

सम्बन्धित मुकदमा अपराध 1617/13 धारा 302 भा०दं०सं० थाना ऊँचाहा जनपद रायबरेली को देखकर उसमें अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्ट किया जिसपर प्रदर्श क–9 डाला गया। अभियुक्त राम सुमेर उर्फ गोलीदीन को हिरासत पुलिस में कारण गिरफ्तारी बताते हुये, थाने पर दाखिल किया गया तथा उक्त मुल्जिम को नामित किया। अभियुक्त राम सुमेर की निशानदेही पर आला कत्ल फावड़ा समक्ष गवाहान बरामद किया। मौके पर तैयार कर गवाहान हमराहीगण व अभियुक्त के हस्ताक्षर फर्द पर कराये गये। साक्षी ने पत्रावली में शामिल का.सं. 11 क/2 फर्द बरामदगी आला कत्ल एक अदद फावड़ा जिसके फल व बेंत में खून लगा हुआ सूख गया था। सम्बन्धित मु०अप०सं० 1617/13 धारा 302 भा०दं०सं० थाना ऊँचाहार के कब्जा पुलिस लिया। हमराहीगण अभियुक्त व गवाहान के हस्ताक्षर फर्द पर कराये गये थे। साक्षी ने काजग संख्या 11 क/2 फर्द में अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिसपर प्रदर्श क–10 डाला गया। दिनांक 19.12.2013 को पंचायतनामा व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अवलोकन कर तस्करा केस डायरी में किया उसी दिन का० श्री दिनेश कुमार द्विवेदी के बयान अंकित किया तथा घटनास्थल मृतक रामदास का फोटोग्राफ प्राप्त होने पर शामिल विवेचना किया। इसी दिन डाक्टर मो० अख्तर (पोस्टमार्टम) करने तथा उपनिरीक्षक रामसुमेर कटियार पंचायतनामा मुर्तल कर्ता का० उदय कुमार सिंह चौहान, छोटेलाल द्विवेदी व सुनील कुमार यादव एवं फर्द गवाह श्री राजमोहन यादव अंकित किया। दिनांक 29.12.2013 को माल मुकदमा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में दाखिला के प्रपत्रों की रसीद प्राप्त होने पर शामिल विवेचना किया तथा बयान का० मुबीन अहमद दाखिला कर्ता का बयान अंकित किया। अब तक की तमामी विवेचना पश्चात गवाहान बयान वादी निरीक्षक घटनास्थल अवलोकन पंचायतनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बरामदगी आलाकत्ल आदि से अभियुक्त रामसुमेर उर्फ गोलीदीन के विरुद्ध जुर्म धारा 302 आई०पी०सी० का अपराध बखूबी साबित होने पर अभियुक्त उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 186/13 दिनांक 29.12.2013 को न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल का० संख्या–4 क आरोप पत्र को देखकर उसमें अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5 क/1 नक्शा नजरी बरामदगी आला कत्ल फावड़ा को देखकर अपने उसमें अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। बरामदशुदा माल मुकदमाती सील बंद सर्व मोहर कर न्यायालय प्रेषित किया गया। जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। सील बंद कपड़े पर मु०अप०सं० 1617/13 धारा 302 आई०पी०सी० थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली व 3310/– सीरो–13 अंकित है तथा इस पर अपने हस्ताक्षर सी०ओ० डलमऊ 13 दिनांकित 29.12.2013 अंकित है। माल मुकदमा से आला कत्ल फावड़ा जिस पर अभियुक्त तथा साक्षी के अपठनीय हस्ताक्षर एवं दिनांक 18.12.2013 अंकित

है। फावड़े के बेंत पर मु०अप०सं० 1617/13 थाना ऊँचाहार राजमोहन, राम सुमेर, शेर बहादुर, जागेलाल, शिव बहादुर के हस्ताक्षर सहित अंकित है। जिसे इन्चार्ज सी०जे०एम० द्वारा दिनांक 18.12.2013 को सीन किया गया है तथा उनके अपठनीय हस्ताक्षर अंकित है। माल मुकदमा फावड़ा पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ की स्लिप चस्पा है जो अपठनीय है फावड़े पर आला कत्ल वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ से परीक्षण उपरान्त खूनालूद सादी मिट्टी प्रस्तुत की गयी। खूनालूद मिट्टी के डिब्बो पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की स्लिप चस्पा है तथा उस पर मुकदमा अपराध संख्या 1617/13 धारा 302 आई०पी०सी० बनाम राम सुमेर उर्फ गोलीदीन थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली तथा साक्षी के साक्ष्य दिनांक 12.12.2013 में हस्ताक्षर अंकित है जिसपर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से दाखिला उपरान्त प्राप्त सादी मिट्टी पर उपरोक्त इबारत सहित विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहित स्लिप चस्पा है। जिसपर प्रदर्श क–9 डाला गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से दाखिला उपरान्त मृतक रामदास यादव निवासी पूरे केतऊ मजरे तेरूखा थाना ऊँचाहार मु०अप०सं० 1617/13 धारा 302 आई०पी०सी० सीरो 1301 अंकित है। जिस पर वस्तु प्रदर्श 4 डाला गया। उक्त पोटली में मृतक का कुर्ता स्वेटर बनियान, दो जूते, धोती व गले में पहना हुआ सफेद धागा जो खून से सने हुये थे। बरामद हुये थे। जिनपर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, प्रदर्श–9, प्रदर्श–10, प्रदर्श–11 डाला गया। उपरोक्त माल मुकदमा का० मोबीन अहमद द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ में दाखिल किया गया था। एच०एम० विनोद त्रिपाठी मेरे मातहत थाना ऊँचाहार में हेड मोहर्रिर के पद पर कार्यरत थे। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर से भलि–भांति परिचित हूँ। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3क/2 चिक एफ०आई०आर० को देखकर उसमें एच०एम० विनोद त्रिपाठी के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया जिस पर साक्षी के स्वंय के हस्ताक्षर एवं दिनांक 12.12.2013 अंकित है। जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 14ख/1 कायमी जी०डी० संख्या 48 समय 23.20 बजे दिनांक 12.12.2013 थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली को देखकर उसने एच०एम० विनोद त्रिपाठी के हस्तलेख व स्वयं के हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। दौरान विवेचना मैंने मृतक रामदास के फोटोग्राफ संकलित किये जो पत्रावली में कागज संख्या 8क/1 ता 8क/2 के रूप में संलग्न है।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्रं०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने घटना एवं साक्षियों द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में "कुछ नहीं" का कथन किया एवं मुकदमा, रंजिशन चलाये जाने का कथन किया है, सफाई साक्ष्य देने के सम्बन्ध में कथन किया

गया कि, "जी नहीं।", तथा साक्षी द्वारा कुछ और कहना है, के सम्बन्ध में कथन किया गया कि, "मैं निर्दोष हूं।"

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिविलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना दिनांक 12.12.2013 को समय 10.00 बजे पी०एम० की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.12.2013 को 23.30 बजे दर्ज करायी गयी है। घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, प्रथम सूचना रिपोर्ट किन परिस्थितियों में डेढ़ घंटे पश्चात दर्ज करायी गयी है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, जबकि, वादी मुकदमा राजमोहन द्वारा अपने मुख्य बयान में कथन किया गया है कि, उसको फोन से सूचना किसी ने दिया कि, तुम्हारे पिता जी का मर्डर हो गया। यह सूचना रात 10.00 बजे मिली थी। तब वह उस सूचना पर करीब 8 लोग हसनगंज गये और वहां देखा कि, रामसुमेर के आंगन में छप्पर के नीचे उसके पिता जी मरे पड़े थे। गर्दन कटी थी। सर पर चोट थी। गर्दन के बगल में तीन वार थे। फिर वे लोग थाने गये थे और उसके पश्चात थाने पर तहरीर दिये थे, का उल्लेख किया है, लेकिन अभियुक्त के घर जाने में कितना समय लगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में नहीं किया गया है।

इस तर्क के जवाब में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा कथन किया गया कि, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना विलम्ब किये दर्ज करायी गयी है। घटना दिनांक 12.12.2013 को समय 10.00 बजे की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 12.12.2013 को 23.30 बजे दर्ज करायी गयी है। घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। सामान्यतः कोई भी घटना घटित होती है तो, घटनास्थल पर तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके पश्चात लोगों को साथ लेकर कोई भी व्यक्ति, जो चोटहिल का करीबी है, थाने प्रथम सूचना रिपोर्ट कराने जाता है, तो थोड़ा बहुत यदि विलम्ब हो भी जाये तो उसे विलम्ब की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में वादी मुकदमा द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि, उसको दिनांक 12.12.2023 को 10.00 बजे रात्रि में सूचना मिली, तब इस सूचना पर उसके गांव के करीब 8 लोग हसनगंज गये, वहां देखा कि, अभियुक्त रामसुमेर के आंगन में छप्पर के नीचे उसके पिता जी मरे पड़े थे, गर्दन कटी थी, सर पर चोट थी, गर्दन के बगल में तीन वार (प्रहार) था। फिर वे लोग थाने गये और थाने के बाहर उसके साथ गये, जागेलाल से तहरीर लिखाकर, पढ़कर, सुनकर थाने में दिया और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

विधि व्यवस्था **"ननकू उर्फ ब्रह्म सहाय व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य निर्णय दिनांकित 06.03.2017 "** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णीत किया गया कि, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से भी दर्ज करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का संतोषजनक कारण दर्शित है, तो इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया जाना नहीं माना जायेगा। एक अन्य विधि व्यवस्था **"उ०प्र० राज्य बनाम भानू प्रताप व अन्य निर्णय दिनांकित 05.02.2015"** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णीत किया गया कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में यदि संतोषजनक कारण है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से कारित होने का लाभ, अभियुक्त को नहीं मिलेगा।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि, घटना का हेतुक साबित नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के ऊपर बिना किसी कारण के ही झूठा आरोप लगाया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

इस तर्क के जवाब में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा कथन किया गया कि, घटना का हेतुक साबित है। वादी मुकदमा द्वारा अपने मुख्य बयान में ही स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि, मेरे पिता जी जनवरी 2013 में रिटायर हुए थे और घटना वाले दिन 12.00 बजे घर से तेल पेराने कहकर घर से निकले थे। वहां से मुराई बाग बैंक गये। 3.30 बजे बैंक से निकल कर ऊंचाहार रामसुमेर के यहां गये थे। आगे यह भी कथन किया है कि, उसके पिता जी वहां से घर वापस नहीं लौटे। उसको फोन से सूचना किसी ने दिया कि, तुम्हारे पिता का मर्डर हो गया है। यह सूचना रात को 10.00 बजे मिली थी। उसके पिता ने रामसुमेर को पचास हजार रू० उधार दिये थे, घर बनवाने के लिए। उसके (वादी मुकदमा) के पिता वहां पैसा मांगने गये थे। रामसुमेर के यहां उसके पिता जी आते जाते थे। पी०डब्लू०–1 द्वारा अपने मुख्य बयान में यह भी कथन किया गया है कि, उसके (वादी मुकदमा) के पिता ने बताया था कि, रामसुमेर को पचास हजार रू० दिये है, उसे भी लेना है और उसके (अभियुक्त) के घर जायेंगे तथा पी०डब्लू०–1 द्वारा अपने बयान में यह भी कथन किया गया है कि, उसके पिता जी के नाजायज संबंध, रामसुमेर की पत्नी लीलावती से हो गये थे। यह बात उन सबकी जानकारी में आ गयी थी और उसके पिता जी का आना जाना रामसुमेर के यहां था। लीलावती, जो रामसुमेर की पत्नी है, उसके पिता के नाजायज संबंध को लेकर रामसुमेर उर्फ गोलेदीन विरोध करता था तथा उन लोगों से भी कहता था। दिनांक 12.12.2013 को रात 10.00 उसे टेलीफोन से सूचना मिली कि, उसके पिता रामदास की हत्या फावड़ा से मारकर रामसुमेर उर्फ गोलेदीन ने अपने घर में कर दी है। तब वह (वादी मुकदमा) तथा उसका भाई जब पड़ोसियों के साथ मुल्जिम के घर गया, पता लगा कि नाजायज संबंधों के कारण रामसुमेर ने उसके पिता की हत्या की है और लीलावती ने बचाने का प्रयास

किया था, लेकिन रामसुमेर फावड़ा लेकर भाग गया था। जब वह रामसुमेर के घर पहुंचा तब उसके पिता की लाश रामसुमेर के घर के अंदर आंगन में उत्तर तरफ पड़े छप्पर के नीचे पड़ी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा भी अपने मुख्य बयान में कथन किया गया है कि, हत्या का शक उसे रामसुमेर उर्फ गोलीदीन पर है। वह राजमोहन के साथ थाना ऊंचाहार आकर भतीजे राजमोहन के कहने पर जैसा उसने बताया था वैसा ही लिखकर राजमोहन के हस्ताक्षर कराकर थाने पर तहरीर प्रार्थनापत्र दिया था। इस प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयान से यह स्पष्ट है कि, घटना का उद्देश्य, लीलावती के साथ प्रेम संबंध व पचास हजार रु०/– की वापसी को लेकर कारित होना है। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि घटना का हेतुक साबित नहीं है, का तर्क असंगत हो जाता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि, किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, वे हितबद्ध साक्षी है, जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। अभियोजन के रूप में पी०डब्लू०–1 राजमोहन जो मृतक का लड़का है, एवं पी०डब्लू०–2 के रूप में मृतक का भाई है, जिसे परीक्षित कराया गया है। मौके का गवाह, जो अभियुक्त की पत्नी है, उसे अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है।

इस तर्क के जवाब में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा कथन किया गया कि, अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा, जो मृतक का लड़का है, ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि, उसे फोन से सूचना किसी ने दिया कि, तुम्हारे पिता जी का मर्डर हो गया है, इस सूचना पर रात 10.00 बजे करीब 8 लोग हसनगंज गये और वहां देखा कि रामसुमेर के आंगन में छप्पर के नीचे उसके पिता जी मरे पड़े थे, गर्दन कटी थी और सिर पर चोटें थी। गर्दन के बगल में तीन वार (प्रहार) थे। उसके पश्चात ये लोग थाने गये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा भी अपने मुख्य बयान में कथन किया गया है कि, वह मृतक रामदास का चचेरा भाई है। मृतक रामदास सन 2013 में रिटायर हो गये थे। उसके भतीजे राजमोहन ने उसके घर आकर बताया था कि, उसके पिता को किसी ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है। हत्या का शक उसे रामसुमेर उर्फ गोलीदीन पर है तथा वह राजमोहन के साथ थाना ऊंचाहार आया और राजमोहन के कहने पर जैसा उसने बताया वैसा लिखकर व हस्ताक्षर कराकर थाने में दिया था। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि, किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र हितबद्ध साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध होना

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हितबद्ध साक्षी की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर न्याय निर्णयन किया जाना चाहिए।

विधि व्यवस्था **"हेमराज व अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2006 SCC CRL. 1646"** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णीत किया गया है कि, स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराया जाना अभियोजन के विपरीपत उपधारणा उत्पन्न नहीं करता है।, परन्तु यदि चक्षुदर्शी साक्षी का मौके पर उपस्थित होना संदेह उत्पन्न करता है, तब ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित कराना महत्वपूर्ण हो जाता है तथा अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि, अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है एवं न ही मौके के गवाह लीलावती, (जो अभियुक्त की पत्नी है,) को ही परीक्षित कराया गया है, का तर्क बलहीन हो जाता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि, घटनास्थल को साबित नहीं किया गया है, मात्र सरसरी तौर पर विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार किया गया है, घटना का चश्मदीद साक्षी व घटना कहां कारित हुई, इस सन्दर्भ में अभियोजन द्वारा किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

इस तर्क के जवाब में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा कथन किया गया कि, घटनास्थल को अभियोजन द्वारा बखूबी साबित किया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 द्वारा घटनास्थल/नक्शा नजरी को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया है। यद्यपि कि विवेचक द्वारा अपने जिरह के पृष्ठ संख्या–7 पर कथन किया गया है कि, उसने दिनांक 12.12.2013 को रात 10.30 बजे घटनास्थल की रिपोर्ट तैयार नहीं किया था। उसने घटनास्थल की तत्काल रिपोर्ट न बनाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन विवेचक को नहीं दिया था, किन्तु कागज संख्या 5क/2 है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि, आंगन के बगल में उत्तर तरफ 'X' स्थान, जिसे रसोई छप्पर लिखा गया है, का अंकन है। उसी छप्पर में 'X' स्थान पर मृतक रामदास की हत्या की गयी और यही से सादा व खूनालूद मिट्टी ली गयी, जिससे स्पष्ट है कि, अभियुक्त के घर के आंगन के बगल में रखे छप्पर में मृतक की हत्या हुई है। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि, घटनास्थल साबित नहीं है, का तर्क असंगत हो जाता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि, अभियोजन द्वारा फावड़े की बरामदगी साबित नहीं है, मात्र सरसरी तौर पर विवेचक द्वारा बरामदगी दिखायी गयी है, जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

इस तर्क के जवाब में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा कथन किया गया कि, अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 द्वारा फर्द बरामदगी

आलाकत्ल फावड़ा को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। पी०डब्लू०–5 द्वारा अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि, आलाकत्ल फावड़ा समक्ष गवाहान बरामद किया और फर्द मौके पर तैयार गवाहान हमराहियान व अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक अदद फावड़ा जिसके फल व बेंत में खून लगा हुआ सूख गया था। सम्बन्धित मु०अप०सं० 1617/13 धारा 302 आई०पी०सी० थाना ऊँचाहार के कब्जा पुलिस लिया। हमराहीगण अभियुक्त व गवाहान के हस्ताक्षर फर्द पर कराये गये थे। इस सन्दर्भ में अभियुक्त के द्वारा पी०डब्लू०–5 से की गयी प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य नहीं लाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि, आलाकत्ल फावड़े की बरामदगी अभियुक्त के द्वारा नहीं करायी गयी। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि, आलाकत्ल की बरामदगी साबित नहीं है, का तर्क असंगत हो जाता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि, अभियुक्त के विरुद्ध रंजिशन मुकदमा चलाया गया है। इस तर्क के जवाब में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा कथन किया गया कि, अभियुक्त को रंजिशन नहीं फंसाया गया है, बल्कि उसके द्वारा जो घटना कारित की गयी, उसी आधार पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मृतक रामदास अभियुक्त के आंगन में छप्पर के नीचे मृत अवस्था में मौजूद मिला, जहां पर विवेचक द्वारा खूनालूद व सादी मिट्टी लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 द्वारा अपने मुख्य बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि, फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक अदद फावड़ा, जिसके फल व बेंत में खून लगा हुआ सूख गया था। सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 1617/13 धारा 302 भा०दं०सं० थाना ऊंचाहार में कब्जा पुलिस लिया गया एवं हमराहीयान अभियुक्त व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर फर्द पर कराये गये तथा साक्षी द्वारा फर्द बरामदगी पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा प्रदर्श क–10 द्वारा साबित किया गया तथा इस साक्षी द्वारा फावड़ा आलाकत्ल को वस्तु प्रदर्श–1 द्वारा साबित किया गया है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ से परीक्षणोपरान्त खूनालूद सादी मिट्टी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित थी, जिस पर बने साक्षी पी०डब्लू०–5 के हस्ताक्षर को वस्तु प्रदर्श–2 एवं सादी मिट्टी जो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षणोपरान्त प्राप्त सादी मिट्टी पर जो स्लिप चस्पा है, उस पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया है। यद्यपि कि, अभियोजन की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजी गयी माल मुकदमाती वस्तुओं की जांच उपरान्त आख्या प्राप्त रिपोर्ट संलग्न पत्रावली पर रक्षित नहीं है, किन्तु मात्र विवेचक की लापरवाही के कारण अभियोजन कथानक को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

विधि व्यवस्था **"सुधा रेणुकैया व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2017 (3) CCSC 1191 (SC)"** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि, जहां

अभियोजन अभिकरण की ओर से उपेक्षा या लोप इत्यादि हुआ है, जिसका परिणाम त्रुटिपूर्ण अन्वेषण में हुआ था, तो न्यायालय की ओर से ऐसे व्यतिक्रम से असम्बद्ध अभियोजन साक्ष्य की सावधानीपूर्वक पता लगाने के लिए परीक्षा करना विधिक आबध्यता है कि, क्या वह साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, या किसी सीमा तक विश्वसनीय है और क्या ऐसे व्यतिक्रम में सत्य का पता लगाने के उद्देश्य को प्रभावित किया था। प्रस्तुत मामले में मृतक (रामदास) की हत्या फावड़े से की गयी, जिस फावड़े पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु प्रेषित किया गया। यद्यपि जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उलब्ध नहीं है, मात्र इस आधार पर कि विवेचक द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी है, घटना को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

अभियुक्त के ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप है, जिसके सन्दर्भ में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा अपने मुख्य बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि, उसके पिता 2.00 बजे घर से निकले थे, तब वह बताये थे कि, रामसुमेर को पचास हजार रू० दिये हैं और उसके घर जायेंगे। अभियुक्त हसनगंज ऊंचाहार का रहने वाला है और उसके पिता का नाजायज संबंध अभियुक्त की पत्नी लीलावती से हो गये थे, यह बात उन सभी की जानकारी में थी। अभियुक्त रामसुमेर उसके पिता से पैसा उधार लिये थे। वह पैसा मकान बनाने के लिए थे तथा उसके पिता का आना जाना रामसुमेर के घर था। रामसुमेर की पत्नी लीलावती व उसके पिता (रामदास) के नाजायज संबंध थे, जिसका रामसुमेर विरोध करता था तथा उन लोगों से कहता था। दिनांक 12.12.2013 को रात 10.00 बजे उसे टेलीफोन से सूचना मिली कि, उसके पिता रामदास की हत्या फावड़ा से मारकर रामसुमेर उर्फ गोलीदीन ने अपने घर में कर दी है। तब वह तथा उसका भाई पड़ोसियों के साथ मुल्जिम के घर गया तब पता लगा कि, नाजायज संबंधों के कारण रामसुमेर ने उसके पिता की हत्या की है और लीलावती ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन रामसुमेर फावड़ा लेकर भाग गया था। जब वह रामसुमेर के घर पहुंचा था तब उसके पिता की लाश रामसुमेर के घर के अंदर आंगन में उत्तर तरफ पड़े छप्पर के नीचे पड़ी थी। इसके बाद वे लोग थाने गये थे तथा रिपोर्ट किये थे। उसके पश्चात पुलिस ने उसके पिता को पंचाग नियुक्त कर पंचायतनामा भरा था और लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रायबरेली को भेजा गया। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा मृतक को मृत्यु कारित करने के आशय से यह जानते हुए कि, फावड़े के धारदार हिस्से से प्रहार करने पर उसकी गर्दन कट सकती है और मृत्यु हो सकती है, जानते हुए प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित किया है। इस प्रकार अभियुक्त का यह कृत्य धारा 302 भारतीय दंड संहिता की परिधि में आता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप धारा 302 भारतीय दंड संहिता साबित होना पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त राम सुमेर उर्फ गोलीदीन के विरुद्ध धारा–302 भारतीय दंड संहिता का आरोप, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त धारा–302 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 13/2014 मुकदमा अपराध संख्या–1617/2013 थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली के मामले में अभियुक्त **राम सुमेर उर्फ गोलीदीन पुत्र महादेव लोध, निवासी– ग्राम हसनगंज, थाना–ऊँचाहार जिला रायबरेली** को आरोप धारा–302 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 28.07.2026 को दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनांक– 17.07.2026

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

<u>दिनांक–28.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दोष सिद्ध अभियुक्त **राम सुमेर उर्फ गोलीदीन** जिला कारागार से उपस्थित है। उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को दण्ड के बिन्दु पर सुना।

दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्त बहुत गरीब व्यक्ति है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी आमदनी का कोई स्त्रोत नहीं है। घर पर अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, पूरा परिवार इसी पर निर्भर है। अभियुक्त को कम से कम सजा से दण्डित करने की याचना की गयी है।

जिस पर अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा कथन किया गया कि, दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा मृतक (रामदास) की गर्दन पर फावड़े से मारकर निर्मम हत्या कारित की गयी। अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाये तथा वादी मुकदमा को उचित मुआवजा दिलाये जाने की याचना की गयी।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सत्र परीक्षण संख्या 13/2014 मुकदमा अपराध संख्या 1617/13 थाना–ऊँचाहार जिला रायबरेली में दोषसिद्ध अभियुक्त **राम सुमेर उर्फ गोलीदीन** को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत **आजीवन कारावास** का कठोर कारावास एवं **1,00,000/–(एक लाख रू/–)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>**दण्डादेश**</u>

दोषसिद्ध अभियुक्त **राम सुमेर उर्फ गोलीदीन पुत्र महादेव लोध, निवासी– ग्राम हसनगंज, थाना–ऊँचाहार जिला रायबरेली** को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत **आजीवन कारावास** का कठोर कारावास एवं **1,00,000/–(एक लाख रू/–)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने की दशा में एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा दौरान विचारण जेल में बिताई गयी अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि मृतक के पुत्र को नियमानुसार दिया जावे।

इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

सजायावी वारंट तैयार कर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जावे।

दिनांक-28.07.2026

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 28.07.2026

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Maneesha Kumari
(Stenographer)

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.29 11:41:09 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions Court, Raebareli